न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एंव अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 36/2014

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
भूराराम गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर	बनाम	1. अंकित पुत्र नन्दकिशोर जाति महेश्वरी निवासी बायतु जिला बाडमेर (फर्म का मुनीम) 2. मिश्रीमल पुत्र रामचन्द निवासी बायतु जिला बाड़मेर (फर्म मोहनलाल नन्दलाल बायतु का मालिक) 3. फर्म मैं. मोहनलाल नन्दलाल बायतु मार्फत मिश्रीमल 4. चन्दप्रकाश मूथा निवासी 7 बी. रोड सरदारपुरा, जोधपुर (मैं गगा एग्रोटेक बी 11/2 मण्डोर मण्डी जोधपुर का मालिक) 5. मैं गगा एग्रोटेक बी 11/2 मण्डोर मण्डी जोधपुर मार्फत चन्द्रप्रकाश 6. विकास पाण्डे मार्फत पालीवाली संस डेयरी प्रा.लि. रीको धौलपुर (राज.) (नोमीनी व्यक्ति) 7. फर्म पालीवाल सन्स डेयरी प्रा.लि. जी.463–64, एफ 475–76 ग्रोथ सेन्टर एक्सटेंशन रीको धौलपुर मार्फत विकास पाण्डे

अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011

उपस्थितः–1. श्री दौलतराम सहायक लोक अभियोजक प्रथम प्रार्थी की ओर से।
2. श्री सम्पतराज बोथरा एडवोकेट अप्रार्थी 01 से 05 की ओर से।
3. श्री रामसिंह एडवोकेट अप्रार्थी सं. 06 व 07 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 27.07.2016

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 26.04.2014 को खाध सुरक्षा अधिकारी बाडमेर के दौराने गश्त प्रातः 11.00 बजे मैं. मोहनलाल नन्दलाल बायतु पहुचंने पर दुकान में एक व्यक्ति बैठा हुआ था, जिसका नाम व पता पूछने पर अपना नाम अंकित पुत्र नन्दकिशोर जाति महेश्वरी

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

निवासी बायतु (फर्म का मुनीम) बताया। दुकान का निरीक्षण करने पर दुकान में अन्य किराणा खाद्य सामग्री के साथ घी ब्राण्ड पालीवाल (500 एम.एल.) 20 पैकेटो में रखा हुआ पाया गया। उक्त घी ब्राण्ड पालीवाल में मिलावट का संदेह होने पर रूबरू गवाह के समक्ष मालिक विक्रेता को जरिये रसीद संख्या 214 के द्वारा रूपये 748/– नगद अदा कर 500–500 एल.एल. जार पैकिंग के 4 पैकेट सीलबन्द क्रय किये एवं रूपयो की रसीद/केश मीमो प्राप्त की। विक्रेता व गवाह के सामने 4 लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर पी.326 खाध पदार्थ का विवरण एंव नमूना लेने का स्थान एंव दिनांक अंकित की गई। चार पैकेटो को चार भागों में बांट कर उन पर लेबल चिपकाया जाकर प्रार्थी व गवाहो व मालिक विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। प्रत्येक नमूने को मोटे व खाखी कागज में लपेट कर इस पर पेपर स्लीप कोड एंव सिरियल नम्बर पी–326 नियमानुसार सील बंद किया। प्रत्येक नमूने पर विवरण लिख कर प्रार्थी व गवाहो ने पेपर स्लीप को क्रॉस करते हुए हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए भरकर गवाहो के हस्ताक्षर कराये जिसकी प्रति मालिक विक्रेता को दी गई। मौके पर ही गवाहो की उपस्थिति में मौकाफर्द तैयार की गयी। समस्त कार्यवाही पूर्ण करने के बाद कार्यालय आकर नमूना पी–326 जॉच हेतु खाद्य विश्लेषक खाध सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। फार्म नम्बर 06 की प्रतियां तैयार की गयी। नमूना सील जिसका प्रयोग सेम्पल लेते वक्त नमूना सील करने में किया गया। एक प्रति नमूने के साथ रखकर आउटर कवर के साथ उसी ब्राससील से सील किया जिसका प्रयोग चारो नमूनो को सीलबन्द करने में किया गया एंव आउटर कवर कर नमूना विवरण अंकित किया गया एंव एक लिफाफे में फार्म नम्बर 06 की एक प्रति रखकर खाध सुरक्षा लैब जोधपुर का पता अंकित कर ब्राससील द्वारा लिफाफे को सील बन्द किया गया। नमूनो के शेष दूसरा, तीसरा व चौथा मय फार्म नम्बर 06 की एक प्रति आउटर कवर में ब्राससील से सील कर सील अवस्था में अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाड़मेर को भिजवाने जाने का उल्लेख किया गया। प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि खाध पदार्थ घी ब्राण्ड पालीवाल की नमूना जांच रिपोर्ट फूड एनालिस्ट जोधपुर के क्रमांक एलएस/174/एक्ट /2014/193 दिनांक 08.05.2014 से अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार नमूना जॉच में खाध पदार्थ घी ब्राण्ड पालीवाल का नमूना पी–326 अवमानक स्तर का होना पाया गया। सम्बन्धित द्वारा उक्त सेम्पल की द्वितीय जांच हेतु अपील आवेदन पेश किये जाने पर नियमानुसार सेम्पल रेफरल लेब गाजियाबाद भेजा गया, जिसकी जांच रिपोर्ट 568/Sept/14-Raj दिनांक 08.09.2014 प्राप्त हुई। अभिहित अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट का अवलोकन करने पर जॉच में खाध पदार्थ घी ब्राण्ड पालीवाल का नमूना पी. 326 sub-standard पाया गया। जॉच में sub-standard पाये गये खाध पदार्थ घी ब्राण्ड पालीवाल का विक्रय करना खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

एंव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन पाये जाने के आधार पर प्रार्थी खाध सुरक्षा अधिकारी, बाड़मेर ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया है। खाध सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र का नोटिफिकेशन एंव संशोधित नोटिफिकेशन की प्रति, फार्म नम्बर 5 ए,नमूना, खरीद रसीद, मौका फर्द, नमूना पी--326 जॉच रिपोर्ट अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने हेतु आवेदन फाईल करने बाबत लिखे गये पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

2. परिवाद प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण द्वारा जारी नोटिस का जवाब पेश नहीं किया गया।

3. अप्रार्थीगण के विद्वान वकील द्वारा ''न्याय आपके द्वार'' कार्यक्रम के तहत प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर कराने का निवेदन किया । प्रार्थी की ओर से सहायक लोक अभियोजक प्रथम बाड़मेर ने दिनांक 26.04.2014 को जांच के दौरान् घी ब्राण्ड पालीवाल में मिलावट होने का संदेह होने पर नियमानुसार लिया गया नमूना फूड एनालिस्ट राज. जोधपुर द्वारा एवं द्वितीय नमूना रेफरल फूड लेबोरेटरी गाजियाबाद द्वारा की गई जॉच के दौरान नमूना पी--326 अवमानक स्तर का पाया गया जो खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है। इसलिये अप्रार्थीगण पर जुर्माना आरोपित किया जाए।

4. हमने सहायक लोक अभियोजक प्रथम की बहस सुनी। परिवाद में वर्णित तथ्यों एंव इसके संलग्न दस्तावेजात तथा खाध विशलेषक जोधपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/174/एक्ट/2014/193 दिनांक 08.05.2014 एवं रेफरल फूड लेबोरेटरी गाजियाबाद की जांच रिपोर्ट क्रमांक 568/sept/14-Raj दिनांक 08.09.2014 के अनुसार अप्राथीगण द्वारा बेचा जा रहा खाध पदार्थ घी ब्राण्ड पालीवाल का सेंपल जॉच में sub-standard स्तर का पाया गया, जिसके लिये अभियुक्त अप्रार्थीगण दोषी प्रतीत होते है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण अंकित वगैरहा द्वारा खाध सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 और विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii)उल्लंघन किया गया है। जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 में sub-standard पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है। अतः खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एंव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन करने एंव अपराध कारित करने के फलस्वरूप तथा लोक अदालत की भावना को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत अभियुक्त अंकित वगैरहा (प्रत्येक पर) पर रूपये 5,000/- 5,000/- (अक्षरे रूपये पांच-पांच हजार मात्र) शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्तगण उपरोक्त शास्ति की राशि मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट

न्याय निर्णायक अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

के माध्यम से निर्णय तारीख 27.7.2016 के एक माह के अंदर–अंदर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें।

(ओ0पी0बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

आदेश लिखाया जाकर आज दिनांक 27.7.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर